

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)  
 पीठासीन अधिकारी:-सुमन देवी  
 (आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्राथमिक डिक्री

मुकदमा नम्बर :-62/2023 (बनवारीलाल बनाम मुरारीलाल वगै०)

निर्णय दिनांक :-15.10.2025

यह मुकदमा आज वारते इफिसला कतई रुबरु, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.10.2025 निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम गांगियासर की सरहद में स्थित भूमि ख०न० 247, 248, 251 कुल किता 3 कुल रकबा 4.52 है० के राजस्व रिकार्ड में वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिसाऊ को 1000/- रुपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार बिसाऊ को तहरीर जारी हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.10.2025 को जारी की गई।





(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर